

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/१९६७
दिनांक : १३.८.२०१०

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९-वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, २००७) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़ को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (१०० सीट) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१७-१८ (दिनांक ०१.०७.२०१७) से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

१. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक १८.०३.२०१६ में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
२. संस्था शास्त्र द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा बी०ए०एम०एस० में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
३. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
४. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा सी०सी०आई०एम० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
५. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक ०४.०७.२०१८ के आलोक में जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़ को बी०ए०एम०एस० पाठ्यक्रम (१०० सीट) में उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र २०१७-१८ (दिनांक ०१.०७.२०१७) से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि रु० २०/- के शपथ पत्र पर फोटो चस्पा कर, अग्निशमन का नवीन प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत परीक्षाफल सामूहिक नकल का प्रमाण पत्र एवं मानकानुसार बैलेंस पूर्ण कराये जाने का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को एक माह के अंदर उपलब्ध करा देगा। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :—

१. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, जी०एस० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुवा, हापुड़।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
८. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव